रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13062023-246473
CG-DL-E-13062023-246473

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 143] नई दिल्ली, सोमवार, जून 12, 2023/ज्येष्ठ 22, 1945
No. 143] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 12, 2023/JYAISHTHA 22, 1945

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(मत्स्यपालन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2023

विषय : समुद्री मत्स्य स्टॉक का मूल्यांकन, निर्धारण और प्रसार करने के लिए भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण को राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में अधिसूचित करने- के संबंध में ।

फा.सं.जे-27001/3/2022–मा.—1. मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय का अधीनस्थ कार्यालय -भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण को भारत के अधिकार क्षेत्र जल (जूरिसडिक्शनल वाटरर्स) के भीतर समुद्री मत्स्य के संबंध में डेटा संग्रह, स्टॉक मूल्यांकन, स्टॉक की स्थिति का निर्धारण, डेटा और रिकॉर्ड के संरक्षण के लिए एतदद्वारा प्राधिकृत राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में अधिसूचित किया जाता है।

2. प्राधिकृत राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण की निम्नलिखित भूमिकाएँ और उत्तरदायित्व होंगे:

(i) समुद्र में मत्स्य स्टॉक (स्टॉकों) का आकलन,

(ii) समुद्री मत्स्य स्टॉक की ओवर फिश्ड अथवा वर्तमान में ओवर फिशिंग के अधीन या अन्य की स्थिति का निर्धारण करना और घोषणा करना,

(iii) समुद्री मत्स्य स्टॉकसंबंधी डेटा और रिकॉर्ड का संरक्षण,

(iv) खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ), क्षेत्रीय मात्स्यिकी प्रबंधन संगठन या संस्था (आरएफएमओएस/ए) और इस संबंध में कोई अन्य क्षेत्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ समन्वय,

(v) समय-समय पर विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) को समुद्री मात्स्यिकी डेटा और सूचना प्रस्तुत करना, और

(vi) मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सौंपे गए किसी अन्य कार्य/कार्यों को निष्पादित करना।

3. समुद्री कैप्चर मात्स्यिकी के संबंध में स्टॉक मूल्यांकन और निर्धारण पर भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण के अलावाकिसी अन्य संस्था द्वारा प्रकाशित/प्रेषित/प्रसारित किसी भी जानकारी या डाटा को स्थानीय या अंतर्राष्ट्रीय, किसी भी फोरम में राष्ट्रीय सूचना/डेटा के रूप में मान्यता नहीं होगी ।

4. भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण पूर्वोक्त उद्देश्य के लिए विभिन्न शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थानों, विशेष रूप से केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (आईसीएआर-सीएमएफआरआई) से अपेक्षित तकनीकी सहायता प्राप्त कर सकता है।

डॉ. जे.बालाजी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(DEPARTMENT OF FISHERIES)

ORDER

New Delhi, the 9th February, 2023

Subject: Notification of Fishery Survey of India as National Agency for marine fish stock assessment, determination and dissemination-reg.

F.No. j-27001/3/2022-Fy.—1. The Fisheries Survey of India, a sub-ordinate office under the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Government of India is hereby notified as Authorized National Agency for matters concerning marine fisheries data collection, stock assessment, determination of the status of stocks, custody of data and records within the jurisdictional waters of India.

2. The Fishery Survey of India as the Authorized National Agency shall have the following roles and responsibilities:

(i) Assessment of marine fisheries stock(s),

(ii) Determination and declaration of status of marine fish stock(s) as Overfished or subject to Overfishing or otherwise,

(iii) Custodian of data and records of marine fish stocks,

(iv) Coordination with the Food and Agriculture Organization (FAO), Regional Fisheries Management Organizations/ Agreements (RFMOs/As) and any other regional or international organizations in this regard,

(v) Submission of marine fisheries data and information to the World Trade Organization (WTO) from time to time, and

(vi) Perform any other task(s) entrusted by the Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Government of India.

3. Any information or data on stock assessment and determination concerning marine capture fisheries of India, published/transmitted/disseminated by any entity other than the Fisheries Survey of India shall not be accepted as National information/data in any forum either domestic or international.

4. The Fisheries Survey of India may obtain requisite technical backup from various academic/research institutions especially, the Central Marine Fisheries Research Institute (ICAR-CMFRI) for the aforesaid purpose.

Dr. J. BALAJI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.05.13 14:41:30 +05'30'